Sign... Part... Pleaders necessa...

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of **Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.**

Case No. 999/22

Summary No. 443/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़ ------ अभियोगी

बनाम

गोपाल लोहार आदि-3 ----अभियुक्त / गण

{अपराध विवरण}

आज दिनांक 13/10/22 को विरचित

मैं साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.) आप अभियुक्त ① गोपाल s/o मांगीलाल लोहार ② धीरेन्द्र s/o वरदीचंद [illegible] ③ कमलसिंह s/o [illegible] सिंह निवासी– [illegible] के विरूद्ध निम्नलिखित अपराध विवरण की विशिष्टयां निर्मित कर पढ़कर सुनाता समझाता हूं कि :–

01– आपने दिनांक 07/10/22 को समय करीब 16 से 20 बजे के दरमियान पुलिस थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर क्षेत्र अंतर्गत सदर बाजार [illegible] पर सार्वजनिक स्थान पर सट्टा पर्ची पर अंक लिखकर रूपयों की हार–जीत का दांव लगाकर सट्टा खेलते / खिलाते हुये पाए गए, जो **धारा 4–क सार्वजनिक द्युत कीडा अधिनियम** के अधीन दंडनीय अपराध है।

ऐसा करके आपने वह अपराध किया जो सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 4–क सार्वजनिक द्युत कीडा अधिनियम के अधीन अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

क्या आप प्रकट करो कि अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हो।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मदसौर (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाकः–

अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाई व समझाई गई तो उसका अभिवाक है कि:–

अपराध स्वीकार है

कमलसिंह

[illegible]

[illegible]

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मदसौर (म.प्र.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of **Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.**

Case No. 999/22

Summary No. 453/22

————— अभियोगी

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़ बनाम

(1) गोपाल लोहार S/o मांगीलाल लोहार उम्र- 53 वर्ष

(2) धर्मेन्द्र S/o वर्धीचन्द्र चौधरी उम्र-28 वर्ष नि-झारडा

(3) कमलसिंह S/o लालसिंह उम्र- 44 नि. बोरखेड़ा पंवार(?) ————अभियुक्त / गण

// निर्णय //

(आज दिनांक 13/10/22 को घोषित)

01. अभियुक्त की स्वेच्छिक अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा **4—क** सार्वजनिक द्युत कीडा अधिनियम के अधीन अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

02. वर्तमान में लोगों में इस प्रकार से सट्टा खिलवाने की प्रवृत्तियां बढ रहीं हैं। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

03. अभियोजन ने अभियुक्त की कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं की है। अत : प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को **सार्वजनिक द्युत कीडा अधिनियम की धारा 4—क** के अधीन दंडनीय अपराध हेतु न्यायालय उठने तक के निरोध एवं रूपये 500/-500/-500/- के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम पर अभियुक्त 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

04. प्रकरण में जप्तशुदा 2150/- /- रूपये राजसात किए जाते हैं। नगद रूपये विधिवत् कोषालय में जमा किए जावें तथा जप्तशुदा सट्टा पर्ची / पेन विधिवत् नष्ट किया जावे।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी